सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल की दुविधा: विवेकाधिकार और विधायी सर्वोच्चता में संतुलन

यूपीएससी सामान्य अध्ययन (GS) से संबद्धता

- **GS पेपर II: भारतीय संविधान, केंद्र-राज्य संबंध, राज्यपाल की भूमिका, न्यायिक समीक्षा।**
- **GS पेपर II और III: विधायी प्रक्रिया, शक्तियों का पृथक्करण, नीति कार्यान्वयन।**

चर्चा में क्यों?

- **अप्रैल 2025** में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु** मामले में एक फैसला सुनाया, जिसने **राज्यपालों पर राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए निश्चित समय-सीमाएँ** लगाई, जिससे उनके विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगा।
- बाद में, **विशेष संदर्भ संख्या 1, 2025** (Special Reference No. 1 of 2025) में, न्यायालय ने इन प्रतिबंधों को **नरम** कर दिया, जिससे राज्यपालों को विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए **व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ** मिलीं। इससे विधायी पंगुता (legislative paralysis) और केंद्र-राज्य संघीय संतुलन (federal balance) के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

पृष्ठभूमि

- राज्यपाल **गैर-निर्वाचित अधिकारी** होते हैं जिनकी नियुक्ति **संविधान के अनुच्छेद 155** के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- उनके पास संविधान के तहत कुछ **विवेकाधीन शक्तियाँ** हैं, जिसमें **विधेयकों पर सहमति** देना भी शामिल है (**अनुच्छेद 200**)।
- ऐतिहासिक रूप से, **विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों** को राज्यपालों द्वारा सहमति को रोककर या अनिश्चित काल तक विलंबित करने के कारण **कानून पारित करने में देरी** का सामना करना पड़ा है।
- **स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु** में, सर्वोच्च न्यायालय ने **विधायी सर्वोच्चता** की रक्षा करने की मांग की, जिससे न्यायालयों को **"मानित सहमति" (Deemed Assent)** की घोषणा करने की अनुमति मिली (यदि राज्यपाल समय-सीमा के भीतर कार्य करने में विफल रहते हैं तो सहमति मान ली जाती है)।

प्रमुख मुद्दे

1. राज्यपाल का विवेकाधिकार बनाम विधायी सर्वोच्चता

- **अनुच्छेद 200** राज्यपालों को विधेयकों पर **सहमति देने, रोकने या वापस करने** की शक्ति देता है।
- अप्रैल 2025 के फैसले ने **असीमित विवेकाधिकार को सीमित** किया और **समय-सीमाएँ** लगाई।

2. न्यायिक हस्तक्षेप और संवैधानिक संवाद

- **"संवैधानिक संवाद" (Constitutional dialogue)** का तात्पर्य राज्यपाल और विधानमंडल के बीच बातचीत से है; यह तभी काम करता है जब दोनों समय पर जवाब दें।
- राज्यपालों पर संवाद को **बाधा डालने वाली रणनीति** में बदलने का आरोप लगाया गया था।

3. विशेष संदर्भ संख्या

- इसने राज्यपालों की शक्तियों का विस्तार किया कि वे यहाँ तक कि **पुनर्विचार किए गए या फिर से अधिनियमित किए गए विधेयकों** को भी **राष्ट्रपति के पास भेज** सकते हैं।
- इसने वापस किए गए विधेयकों की **बाध्यकारी प्रकृति** और **समय-सीमा** जैसे सुरक्षा उपायों को **उलट** दिया।
- यह एक **संवैधानिक ब्लैक होल** बनाता है: विधेयक बिना विधायी या न्यायिक सहारा के चुपचाप समाप्त हो सकते हैं।

4. checks and Balances (नियंत्रण और संतुलन) का गलत अनुप्रयोग

- न्यायालय ने **केंद्रीय कानूनों के साथ संभावित टकराव** का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को विधेयक भेजने की शक्तियों को उचित ठहराया।
- लेकिन कानूनों की वैधता का **परीक्षण न्यायालय** कर सकते हैं; राज्यपालों द्वारा **निवारक बाधा** अनावश्यक है।
- सहमति को **प्रारंभिक न्यायिक समीक्षा** तक बढ़ाना विधानमंडल को कमजोर करता है।

चुनौतियाँ

- **प्रक्रियात्मक देरी** के कारण **नीतिगत पंगुता**।
- **विधायी अधिकार** और **राज्य स्वायत्तता** का क्षरण।
- **संघीयता को कमजोर** करते हुए **संघ के संभावित अतिरेक** (Union overreach) का खतरा।
- **न्यायिक अस्पष्टता:** सलाहकार राय बाध्यकारी न होने पर भी प्रेरक अधिकार रखती हैं।

वैज्ञानिक / तकनीकी झलक

- **सहमति (अनुच्छेद 200):** विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल द्वारा औपचारिक अनुमोदन।
- **मानित सहमति (Deemed Assent):** कानूनी कल्पना जिसमें निष्क्रियता को अनुमोदन माना जाता है।
- **विवेकाधीन शक्तियाँ:** स्पष्ट निर्देश के बिना प्रयोग की गई शक्ति, उदाहरण के लिए, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना।
- **संवैधानिक संवाद:** राज्य विधानमंडल और राज्यपाल के बीच बातचीत।
- **संघीय संतुलन (Federal balance):** केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का न्यायसंगत वितरण।

Result Mitra रिजल्ट का साथी 9235313184, 9235440806

आगे की राह

- राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्य करने के लिए **स्पष्ट समय-सीमाएँ बनाए रखना।**
- विधेयकों को राष्ट्रपति के पास **असीमित रूप से भेजने को केवल असाधारण परिस्थितियों तक सीमित** करना।
- **विधायी सर्वोच्चता** सुनिश्चित करने के लिए **न्यायिक समीक्षा को मजबूत करना।**
- केंद्र-राज्य संबंधों में **पारदर्शी शासन** को बढ़ावा देना।
- **संघीय भावना** की रक्षा के लिए **संवैधानिक मूलवाद (Constitutional originalism)** को बनाए रखना।

IAS-PCS Institute

निष्कर्ष

यह गाथा राज्यपाल के **विवेकाधिकार और विधायी अधिकार के बीच नाजुक संतुलन** को दर्शाती है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में **मनमाने विलंबों को सीमित** करके लोकतंत्र की रक्षा की, लेकिन **विशेष संदर्भ** ने अत्यधिक छूट दे दी, जिससे **नीतिगत पंगुता और संघ के अतिरेक** का खतरा पैदा हो गया। भारत में एक मजबूत संघीय लोकतंत्र के लिए **विधायी सर्वोच्चता को बनाए रखना** और **समय पर न्यायिक हस्तक्षेप** आवश्यक है।

प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

Q1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 से संबंधित है:

A) राज्य विधानसभा को भंग करने का राज्यपाल का अधिकार

B) विधेयकों को मंजूरी देने का राज्यपाल का अधिकार

C) राज्य विषयों पर कानून बनाने का राष्ट्रपति का अधिकार

D) राज्य बजट को मंजूरी देने का मुख्यमंत्री का अधिकार

उत्तर: B

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

Q2. राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में "मान्यता प्राप्त स्वीकृति" (deemed assent) का अर्थ है:

A) राज्यपाल औपचारिक रूप से किसी विधेयक को अस्वीकृत करता है

B) यदि राज्यपाल निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं करता है, तो विधेयक को स्वचालित रूप से स्वीकृत माना जाता है

C) राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी के बिना सीधे स्वीकृति देते हैं

D) विधानसभा स्वयं विधेयक को वापस ले लेती है

उत्तर: B

Q3. भारत में राज्यपालों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. राज्य सभाओं द्वारा निर्वाचित
2. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
3. बिना जवाबदेही के अनिश्चित काल तक स्वीकृति रोक सकते हैं

A) केवल 1 और 3
B) केवल 2
C) केवल 2 और 3
D) केवल 1 और 2
उत्तर: B

Q4. यदि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकने के लिए प्रक्रियात्मक शक्तियों का उपयोग करता है, तो कौन सा सिद्धांत उल्लंघन होता है?
A) न्यायिक समीक्षा
B) विधान supremacy (Legislative supremacy)
C) सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative federalism)
D) कानून का शासन (Rule of law)
उत्तर: B

Q5. सरकारिया आयोग किससे संबंधित है?
A) चुनाव सुधार
B) केंद्र–राज्य संबंध
C) न्यायिक नियुक्तियाँ
D) एंटी-डेफेक्शन कानून
उत्तर: B

Q6. "संवैधानिक संवाद" (Constitutional dialogue) से तात्पर्य है:
A) संसद में संवैधानिक संशोधनों पर बहस
B) विधेयकों के संबंध में राज्य विधानसभा और राज्यपाल के बीच बातचीत
C) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाहकार राय देना
D) राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट के साथ कानूनों पर चर्चा
उत्तर: B

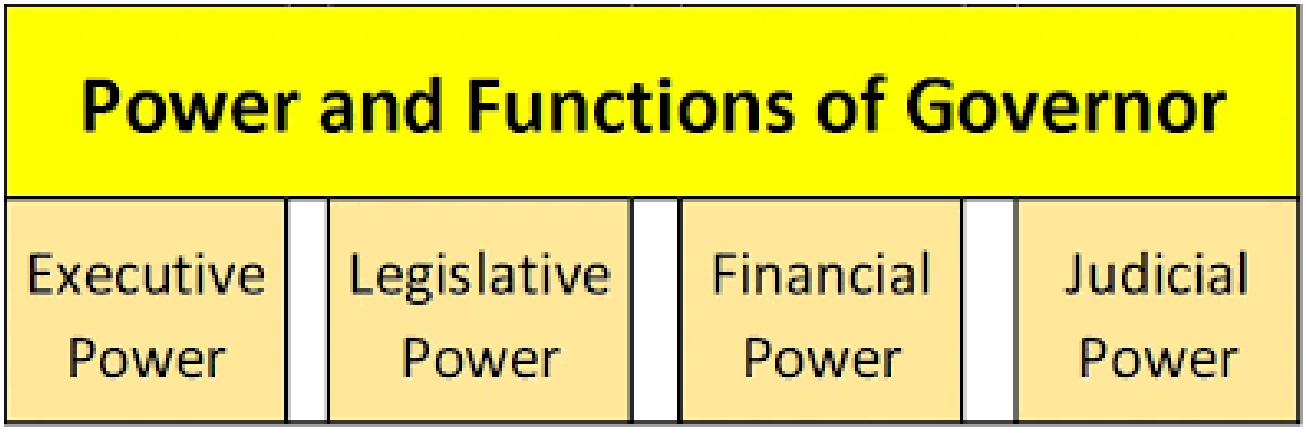

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
9235313184, 9235440806

मेन्सप्रश्न

Q1. तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल और विशेष संदर्भ संख्या 1/2025 में राज्यपाल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की गंभीर समीक्षा करें। भारत में विधान supremacy और संघीय संतुलन पर इसके निहितार्थों पर चर्चा करें। (250 शब्द | सामान्य अध्ययन II)

Q2. भारत में राज्यपालों के विवेकाधिकार (discretionary powers) की सीमा और दायरा का विश्लेषण करें। न्यायिक हस्तक्षेप और संवैधानिक सुरक्षा उपाय नीति स्तब्धता (policy paralysis) को रोकते हुए सहयोगात्मक संघवाद (cooperative federalism) को कैसे बनाए रख सकते हैं, इस पर चर्चा करें। (250 शब्द | सामान्य अध्ययन II & III)

IAS-PCS Institute

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806